

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/
मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन,
30प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 19 अक्टूबर, 2023

विषय: राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत शाहजहांपुर शहर की आई0टी0एम0एस0 परियोजना की अग्रिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासनादेश संख्या-05/2021/837/नौ-9-2021-47ज/21, दिनांक 30.03.2021 द्वारा शाहजहांपुर शहर की आई0टी0एम0एस0 परियोजना लागत धनराशि रू0 4107.00 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत की धनराशि रू0 1026.00 लाख (रू0 दस करोड़ छब्बीस लाख मात्र) कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-121/2021/2615/नौ-9-2021-47ज/21, दिनांक 28.12.2021 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 1026.00 लाख निर्गत की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-87/2022/546/नौ-9-2022-47ज/21, दिनांक 31.03.2022 द्वारा तृतीय किश्त की धनराशि रू0 1026.00 लाख निर्गत की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, 30प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-1552/106/SSCM/2021-22, दिनांक 04.10.2023 एवं संख्या-1450/106/SSCM/2021-22, दिनांक 18.08.2023 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर अग्रिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शाहजहांपुर शहर की आई0टी0एम0एस0 परियोजना लागत धनराशि रू0 4107.00 लाख के सापेक्ष अग्रिम किश्त के रूप में दिनांक 20.01.2023 के ओपेक्स लागत के सापेक्ष पूर्व वित्तीय वर्ष (2022-23) एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु कुल धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) रू0 244.38440 लाख (रूपये दो करोड़ चौवालीस लाख अड़तीस हजार चार सौ चालीस मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-


- (1) उक्त धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाइन्स, 2019 के दिशा निर्देशों/शासनादेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी, शाहजहांपुर को अंतरित/व्यय की जायेगी।

- (2) उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च 2024 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (3) शासनादेश संख्या-05/2021/837/नौ-9-2021-47ज/21, दिनांक 30.03.2021 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,44,38,440 (रुपये दो करोड़ चौवालीस लाख अड़तीस हजार चार सौ चालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217050510300 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय जाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19.09.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो० व०सिफ)
अनु सचिव।

संख्या- 59 /2023/2114/नौ-9-2023-001-ई-1741090, तददिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, बरेली।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, शाहजहांपुर।
8. कोषाधिकारी, शाहजहांपुर।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
10. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मो० व०सिफ)
अनु सचिव।